न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 113/2022

प्रकरण दर्ज तिथि :— 19.09.2022

जीसीएमएस नम्बर :— 2022/274

वादीगण :—

1. पूनमसिंह पुत्र मानसिंहजी, उम्र— 42 साल
2. राजुसिंह पुत्र मानसिंह, उम्र— 24 साल

जातियान— रावत, निवासीगण— बाडिया सोयना पचानपुरा, तहसील— रायपुर, जिला— पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. पिस्ता पत्नी श्रवणसिंह, उम्र— व्यस्क
2. हनुमन्तसिंह पुत्र रामसिंह, उम्र— व्यस्क
3. नर्बदा पत्नी हनुमन्तसिंह, उम्र— व्यस्क
4. बाबुसिंह पुत्र रामसिंह, उम्र— व्यस्क
5. लीलादेवी पत्नी बाबुसिंह, उम्र— व्यस्क
6. दल्लु पत्नी रामसिंह, उम्र— व्यस्क

जातियान— रावत, निवासीगण— बाडिया सोयना पचानपुरा, तहसील— रायपुर, जिला— पाली (राजस्थान)

7. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय— रायपुर, जिला— पाली

दावा अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित 1 श्री मनीष साहू व भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण
2 प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः 29.01.2024

वादी की ओर से वकील श्री मनीष साहू व भागीरथ तेली द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापन वादपत्र धारा 92ए 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, तहसील— रायपुर में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम है। वादीगण के पिता मानसिंह पुत्र सदासिंह का देहान्त दिनांक 04.08.2019 को हो चुका है। वादीगण खसरा नम्बर 409 मे अपने हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है, अपने हिस्से की भूमि पर वादीगण ने चारो तरफ तारबन्दी कर उसमें तिल की फसल बो रखी है, तथा फसल की सुरक्क्षा हेतू कातलो की झोपडी बना रखी है, जिसमें वादीगण रहकर अपनी फसलो की सुरक्षा करते है, प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 पडौस में ही निवास करते है, प्रतिवादीगण संख्या 1,3,5 महिलाए है, जो निरन्तर वादीगण को बेदखल करने की धमकिया देती है, और कहती है कि तुम्हारे खेत पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर तुम्हारी जमीन हडप कर लेगे, नही माने तो लज्जा भंग, बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे में फसाकर जेल भिजवा देगे, प्रतिवादीगण संख्या 1,3,5 ने दिनांक 29.08.2022 को खुले आम वादीगण के साथ अश्लील गाली गलोच कर चौडे आम धमकी दी कि हम तुम्हें तुम्हारी जमीन पर रहने नही देगे, और कब्जा कर लेगे, और वादीगण द्वारा बोई गयी फसल को काटकर ले जाने की धमकिया दी, एवं पशुओ को खिलाने की धमकिया दी, वादीगण वाद ग्रस्त खसरा नम्बर 409 के खातेदान मानसिंह पुत्र सदासिंह के वारिसान है, खसरे में मालिक है, जिन्हें प्रतिवादीगण को बेदखल आदि करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है, और ना ही वादीगण को नुकसान पहुचाने का अधिकार है, अगर प्रतिवादीगण कानून को हाथ में लेकर बिना किसी हक अधिकार के वादीगण की खातेदारी जमीन में दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न की जाती है, या वादीगण की बोई हुई फसल मे नुकसान पहुचाया जाता है, या वादीगण की जमीन की तारबन्दी में किसी प्रकार की तोड फोड की जाती है, तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा, जिसकी क्षति पूर्ति किसी तरह सम्भव नही होगी, तथा वादीगण को अपने हक अधिकारो से वंचित होना पडेगा। ऐसी सूरत में वादीगण के पास अपने हक अधिकारो की सुरक्षा हेतू माननीय न्यायालय के शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से वादीगण अपने हितो व अधिकारो की सुरक्षा हेतू यह वाद स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का खिलाफ प्रतिवादीगण के माननीय न्यायालय में पेश कर रहे है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से की खातेदारी जमीन से बेदखल आदि करने का कोई कानूनी हक अधिकार नही है, फिर यदि प्रतिवादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के नही रोका जाता है, तो वादीगण को बिना किसी हक अधिकार के प्रतिवादीगण बेदखल आदि कर देगे, ऐसी सूरत में प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना आवश्यक

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
रायपुर (ब्यावर)

है। प्रतिवादी संख्या 7 उक्त राजस्व जमीन के लैण्ड होल्डर है, जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सिविल प्रकिया संहिता का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस देने व इसकी अवधि समाप्त होने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 बिना किसी हक अधिकार के वादीगण की खातेदारी जमीन में तोड फोड कर कब्जा कर लेगे, तथा वादीगण की बोई हुई फसल को नुकसान पहुचा देगे, इसलिये वादीगण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही श्रीमान से अनुमति लेकर यह वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। बिनायदावा दिनांक– 29.08.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उनकी खातेदारी जमीन से बेदखल आदि करने, वादीगण की फसल को नुकसान पहुचाने की ऐलानिया धमकिया देने पर बमुकाम– पचानपुरा, तहसील– रायपुर, जिला– पाली मे उत्पन्न होता है, जो माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार व हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद माननीय न्यायालय में पेश है। मालियत वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा की 200–200 रूपये कायम की जाती है, जिस पर निर्धारित न्याय शुल्क स्टाम्प 4/– अक्षरे चार रूपये का वाद के साथ सलग्न पेश है। पक्षकारान के निवास स्थान, वाद की प्रकृति, वाद की मालियत एवं बिनायदावा के आधार पर उक्त वाद का क्षैत्राधिकार, श्रवणाधिकार श्रीमान के न्यायालय को होने से वाद अन्दर मियाद श्रीमान के समक्ष पेश है। डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि वाद के पद संख्या–1 एक में वर्णित ख्याम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, तहसील– रायपुर में आई हुई है, जिसके खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की जमीन में वादीगण के हक हिस्से में वादीगण के उपयोग उपभोग, कास्त व कास्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखंलनदांजी व बाधा उत्पन्न नही करे, और ना ही वादीगण को कब्जे से बेदखल आदि करे, और ना ही प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी जमीन की तारबन्दी में तोड फोड करे, ना ही वादीगण की फसल को नुकसान पहुचावे, ना ही वादीगण को फसल लेने में किसी प्रकार की बाधा या अडचन पैदा करे, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके परिवार के सदस्यगण नौकर चाकर हाली ऐजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावे।

अतः वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त वादपत्र मे साक्ष्यवादी पेश नहीं करना चाहता हूं एवं बहस करना चाहता हूं। बहस में अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, के खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी के पिता के नाम खातेदार दर्ज हैं। जिनका देहान्त हो चुका हैं हम वादीगण की वारिसान हैं। जिसमे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमावें। वादपत्र पर एकपक्षीय बहस समायत की गई।

बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् भूमि ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, के खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी के कब्जे काश्ते की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, के खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावें। तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शूमार होकर दर्ज नम्बर से कम हों।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 29.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
बईजलास :– श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.
दावा बाबत् घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188,92ए राज. काश्त. अधि.

वादीगण :–

1. पूनमसिंह पुत्र मानसिंहजी, उम्र– 42 साल
2. राजुसिंह पुत्र मानसिंह, उम्र– 24 साल
   जातियान– रावत, निवासीगण– बाडिया सोयना पचानपुरा,
   तहसील– रायपुर, जिला– पाली (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पिरता पत्नी श्रवणसिंह, उम्र– व्ययस्क
2. हनुमन्तसिंह पुत्र रामसिंह, उम्र– व्ययस्क
3. नर्बदा पत्नी हनुमन्तसिंह, उम्र– व्ययस्क
4. बाबुसिंह पुत्र रामसिंह, उम्र– व्ययस्क
5. लीलादेवी पत्नी बाबुसिंह, उम्र– व्ययस्क
6. दल्लु पत्नी रामसिंह, उम्र– व्ययस्क
   जातियान– रावत, निवासीगण– बाडिया सोयना पचानपुरा,
   तहसील– रायपुर, जिला– पाली (राजस्थान)
7. तहसीलदारजी, तहसील कार्यालय– रायपुर, जिला– पाली

राजस्व वाद 113/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री डूगरसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव प्रतिवादीगण श्री करणीदान एवं श्री भागीरथ तेली मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरूद्व वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पचानपुरा, पटवार हल्का पचानपुरा, के खसरा नम्बर 409 रकबा 0.9551 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम में वादी के कब्जे काश्ते की भूमि में प्रतिवादीगण स्वयं एवं इनके नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट, मजदूर इत्यादि काश्त मुतालिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करें, को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

नीज......................×.................मुबलिक...............×..............बाबत्............×............. खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .×................फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....×..........................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.01.2024 को जारी किया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	05	00	स्टाम्प हाजरी	–	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–			खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	04	00	मीजान			
मीजान		13	00			00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।